#### GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA (RAILWAY BOARD)

No.E(NG)1-2004/PM9/6

New Delhi, dated 16-8-2005

The General Managers, All Indian Railways and Production Units. (As per standard list)

Sub:- Promotion of App.III (IREM) passed candidates as SO(A/cs)/ISA/TIA-Relaxation of 2 years minimum service for promotion.

In terms of para 171(6) of IREM Vol.I, 1989 as modified vide ACS No.17 issued under this Ministry's letter No.E(NG)I-91/PM9/13 dated 30.12.1994, the posts in the category of SO(A/cs)/ISA/TIA in grade Rs.6500-10,500 are required to be filled by promotion of App.III qualified Accounts Assistants in the pay scale of Rs.1400-2600/Rs.5500-9000 after they have put in a minimum of two years service in the grade (according to the group for which they opt). Whenever such App.III qualified Accounts Assistant become due for promotion, persons who might have passed in earlier examinations but who did not satisfy the condition of the minimum two years service in the immediate lower grade are also considered eligible for promotion direct from the grade in which they are working. However, if no junior is eligible for promotion because of non-fulfilment of condition of two years in the immediate lower grade, the seniors have to wait for completion of requisite service.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that the above provisions are resulting in a situation in which even though the posts are lying vacant in grade Rs.6500-10,500 and Appendix III qualified staff are also available they can not be promoted because they are not working in the immediate lower grade of Accounts Assistant in the pay scale of Rs.5500-9000 but are working in grade(s) lower than the grade of Accounts Assistant e.g. JAA in the pay scale of Rs.4500-7000 or Accounts Clerks in pay scale of Rs.3050-4590 and none of their junior having passed App.III Exam. later is also eligible for such promotion.

- 3. The matter has been considered by this Ministry and it has been decided that in order to avoid the above anomalous situation App.III qualified staff may be promoted to the post of S.O.(A/cs)/ISA/TIA (according to the group for which they opt) direct from the grade in which they are working strictly according to position in the Appendix III panel.
- 4. Accordingly, para 171 (6) of IREM, Vol.I, 1989 Edition is amended as per ACS No.175 enclosed.

(This also disposes of S.E.Rly's letter No.Admn./SE/Pt.XIII/SO(A)/805 dated 3.12.2004 and DLW's letter No.A/Admn/B/116 Pt.I dated 16.2.2005).

Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain) Director Estt.(N)

Railway Board

DA : <u>As above</u>.

No.E(NG)I-2004/PM9/6

New Delhi, dated 16-8-2005

### Copy forwarded to:-

- The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
- 2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
- 3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- 4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
- 5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
- 6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
- The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

- 8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
- The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
- 11. Adviser/Safety, Railway Board.
- 12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
- 13. Director General & Ex-officio General Manager, RDSO, Lucknow

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N) and MSR(V).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.
PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.
PSs to all EDs/JSs and IG/RPF.

D(OL), DPC-I&II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), D(Safety), DE(N), JDE(N)II, DE(R), JDE(Rep), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DD(D&A), DDV(A&P), DDE(Rep) I & II, DD(D&A), DD(OL)I&II, E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III (5 spare) & Code Revision Cell (5 spares)

\*\*\*\*\*

# INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I, 1989 EDITION

## ADVANCE CORRECTION SLIP NO.175

#### CHAPTER-I, SECTION-B, SUB-SECTION-III

1. Substitute the following for the existing para 171(6):-

"171(6): The posts in the next higher grade of Section Officers (Accounts), Inspector of Store Accounts (ISA) and Traveling Inspector of Accounts (TIA) in the pay scale of Rs.6500-10,500 will be filled by promotion of App.III qualified staff (according to the group for which they opt) strictly according to order in the Appendix-III panel and direct from the grade in which they are working".

(Authority: Ministry of Railway's letter No.E(NG)I-2004/PM9/6 dated 16-8-2005).

\*\*\*\*\*

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I-2004/पी एम 9/6

नई दिल्ली, दिनांक 16.8.05

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां (मानक सूची के अनुसार).

> विषय: परिशिष्ट-III (आईआरईएम) परीक्षा पास उम्मीदवारों की अनुभाग अधिकारी(लेखा)/भंडार लेखा निरीक्षक (आईएसए)/ चल लेखा निरीक्षक (टीआईए) के रूप में पदोन्नति -पदोन्नति के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा में छूट.

इस मंत्रालय के दिनांक 30.12.1994 के पत्र सं. ई (एन जी)I-91/पी एम 9/13 के अंतर्गत जारी अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 17 के तहत यथा संशोधित भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 संस्करण के पैरा 171(6) के अनुसार, 6500-10,500 रु. के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी (लेखा)/आईएसए/टीआईए कोटि के पदों को 1400-2600/5500-9000 रु. के वेतनमान के परिशिष्ट-III की अर्हता प्राप्त उन लेखा सहायकों से भरा जाएगा. जिन्होंने इस ग्रेड में (उस समृह के अनुसार जिसके लिए वे विकल्प देते हैं) दो वर्ष की न्यूनतम सेवा कर ली हो. जब भी परिशिष्ट-III की अर्हता प्राप्त लेखा सहायक की पदोन्नति देय हो, वे कर्मचारी जिन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली हो लेकिन आसन्न निम्न ग्रेड की सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा न करते हों, तो वे भी उस ग्रेड, जिसमें वे कार्यरत हैं, से सीधे पदोन्नति के हकदार होंगे. बहरहाल, यदि आसन्न निचले ग्रेड में दो वर्ष की सेवा अविध को पूरा करने वाले कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिए हकदार नहीं है तो वरिष्ठ कर्मचारी को अपेक्षित सेवा के पूरा होने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी.

2. इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि उक्त उपबंधों के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें 6500-10500 रु. के म्रेड में चाहे पद खाली पड़े हों और

罗斯特

 $\pi \pi \pi T \pi^{\prime \pi}$ 

· 大海

परिशिष्ट-III अर्हता प्राप्त कर्मचारी भी उपलब्ध हों, उनकी पदोन्नित नहीं की जा सकती क्योंकि वे 5500-9000 रु. के वेतनमान के लेखा सहायक के आसन्न निचले ग्रेड में कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि लेखा सहायक के ग्रेड से निचले ग्रेड अर्थात् 4500-7000 रु. के किनष्ठ लेखा सहायक या 3050-4590 रु. के लेखा क्लर्क के ग्रेड में कार्य कर रहे होते हैं और बाद में परिशिष्ट-III पास करने वाला उनसे कनिष्ठ कोई भी कर्मचारी ऐसी पदोन्नित के लिए पात्र भी नहीं होता.

- 3. इस मामले पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त असंगत स्थिति से बचने के लिए परिशिष्ट-III अर्हता प्राप्त कर्मचारी, जिस ब्रेड में वे कार्य कर रहे हैं, से सीधे उनकी पदोन्नति अनुभाग अधिकारी(लेखा)/आईएसए/टीआईए (उस समूह के अनुसार जिसके लिए वे विकल्प देते हैं) के पद पर पूर्णतया परिशिष्ट-III पैनल में उनकी स्थिति के अनुसार कर दी जाए.
- 4. तदनुसार, संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 175 के अनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 संस्करण के पैरा 171 (6) में संशोधन किया जाता है.

(इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 3.12.2004 के पत्र सं. एडिमन/एसई/पार्टXIII/एसओ(ए)/805 तथा डीरेका के दिनांक 16.2.2005 के पत्र सं. ए/एडिमन/बी/116/पार्ट 1 का भी निपटान हो जाता है).

कृपया पावती दें

(जे. एस. गुसाई)

निदेशक, स्थापना (अराज.)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त.

50

### प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां).
- 2. महासचिव, नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां).
- 3. राष्ट्रीय परिषद् तथा विभागीय परिषद् के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् के सचिव, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां).
- 4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां).
- 5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां).
- 6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' आफिसर एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 8. सचिव, आए बी एस एस, ग्रुप 'बी' आफिसर एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 10. सचिव, हेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 11. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड.
- 12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
- 13. महानिदेशक तथा पदेन महाप्रबंधक, अअमासं., लखनऊ.

े | ८ गुला ज कृते सचिव | रेलवे बोर्ड

## प्रतिलिपि:-

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (एन) तथा रेल राज्य मंत्री (वी) के निजी सचिव. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजी., सचिव के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

# भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I, 1989 संस्करण

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. -----

अध्याय-1, खंड-ख, उपखंड-III

1. मौजूदा पैरा 171 (6) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें :-

"171 (6): अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 6500-10500 रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (लेखा)/भंडार लेखा निरीक्षक (आईएसए)/चल लेखा निरीक्षक (टीआईए) के ग्रेड में पद परिशिष्ट-III अर्हता प्राप्त कर्मचारियों (उस समूह के अनुसार जिसके लिए वे विकल्प देते हैं) की सीधे उस ग्रेड से जिसमें वे कार्य कर रहे हों, पदोन्नति द्वारा पूर्णतया परिशिष्ट-III पैनल में उनके क्रम के अनुसार भरे जाएंगे.

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का पत्र सं. ई (एन जी) I/2004/पी एम 9/6 दि.।**७**.8.2005)